न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
05/दावा/2021	29.12.2020	29.01.2024

थानाधिकारी थाना केशोरायपाटन जिला बून्दी ......प्रार्थी

बनाम

पार्टी नं. 1

1. बृजमोहन आ0 बद्रीलाल जाति मीणा निवासी सुंवासा

पार्टी नं. 2

1. प्रेमशंकर व्यास आ0 रामकल्याण जाति ब्राहम्ण
2. सत्यनारायण आ0 रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासीगण सुंवासा थाना के0पाटन जिला बून्दी ...

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता पार्टी नं. 1 :– श्री धनराज मीणा
अधिवक्ता पार्टी नं. 2 :– श्री नन्दसिंह सौलंकी

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 145(2) जा0दी0

प्रार्थना पत्र प्रार्थी थानाधिकारी केशोरायपाटन ने प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये है कि परिवाद द्वारा प्रेमशंकर आ0 रामकल्याण जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा ने प्रस्तुत कर प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्स की दो दुकाने एवं एक गैलेरी पक्की जिसका नाम 23 गुना 64 कुल 1440 वर्गफिट उक्त दुकाने नया मोहल्ला मुख्य बस स्टेण्ड सुंवासा तहसील तालेडा में स्थित है। दुकानों को प्रार्थी ने दिनांक 13.11.2019 श्री बृजमोहन मीणा आ0 बद्रीलाल मीणा निवासी सुंवासा से जरिये इकरारनामा विल एवज प्रतिफल राशि 55 लाख रूप्ये नगद भुगतान करके खरीद किया था तब से ही दुकाने व प्लाट प्रार्थी के संचालन व उपयोग में चली आ रही है जिसमें एक दुकान श्री शम्भू जेन को किराये पर दे रखी है जिसमें परचून की दुकान संचालित करते है एक दुकान में प्रार्थी के घर गृहस्थी के सामान रखे हुये है तथा दुकान में 4–5 कुर्सी टेबल कूलर प्रार्थी के रखे हुये है। अप्रार्थी बृजमोहन कहता है कि दुकान की रेट बढ गयी है आपने हमे कम पैसे दिये तथा मेरी दुकान में मेरा सामान रखा हुआ है जिसको बृजमोहन बार–बार सामान को फेकने की धमकी देता है सम्पूर्ण दुकान के कागजात प्रेमशंकर के पास है विक्रय पत्र रजिस्ट्री व पटटा प्रेमशंकर ने पेश किये गये जो शामिल इस्तगासा किये गये थे। इसी सम्बन्ध में बृजमोहन आ0 बद्रीलाल मीणा का परिवाद प्राप्त हुआ। जिसमें बद्रीलाल द्वारा दिनांक 2.11.2017 को 9.50 लाख रूप्ये जर्ये इकरारनामा उधार लेना बताता है तथा दुकान व प्लाट मय कागजात गिरवी रखना बताता है। दौराने जांच सम्पूर्ण कागजात इकरारनामा, वसीयतनामा, मुख्तयारनामा व विकय पत्र प्रेमशंकर आ0 रामकल्याण जाति मीणा निवासी सुंवासा के पक्ष में होना पाया गया है। इसी सम्बन्ध में थाना हाजा मे मुकदमा नं0 362/20 व 363/20 दोनो क्रोस केस दर्ज हो चुके है। जिसमें बृजमोहन जेल जा चुका है। बृजमोहन ने प्रेमशंकर की दुकान पर आकर मारपीट की थी तथा बृजमोहन ने भी प्रेमशंकर के खिलाफ अपनी पत्नी से छेडछाड का मुकदमा दर्ज कराया था। दोनो पक्ष ही दुकानो के सम्बन्ध में लडाई झगडा करने पर आमादा है। दोनो पक्षो के मध्य दिनांक 25.12.2020 को भी झगडा होने पर दोनो पक्षो को अन्तर्गत धारा 151 जा0फो0 में हिरासत पुलिस लिया गया था। उक्त दोनो दुकानो व गेलेरी के पीछे उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में लडाई झगडा का पूर्ण अंदेशा होने से उक्त दोनो दुकानो व गेलेरी के पीछे उक्त भूखण्ड को कब्जे सरकार लेकर रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पार्टी नं. 1 व 2 को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

पार्टी नं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कार्यवाही अस्वीकार है। मेरे कब्जे व स्वामित्व की दो दुकाने एवं गैलरी पक्की जिसका नाम 23 गुणा 64 फिट कुल 1440 वर्गफीट है जिनको प्रेमशंकर को दिनांक 13.11.2019 को बृजमोहन द्वारा जर्ये इकरारनामा के रूप्ये 5500000/– [illegible] बताया है जो गलत है। बृजमोहन ने दिनाक 13.11.2019 को प्रेमशंकर के पक्ष में कोई लिखा पढी नही की ग[illegible]

प्रेमशंकर व बृजमोहन ने नशे की सिगरेट [illegible] की हालात में स्टाम्प वगैरह खरीद करवाई एवं नशे में ही लिखा पढी करवाई गई थी। बृजमोहन [illegible] दिनांक 30.11.2019 को प्रेमशंकर को जर्ये इकरारनामा के रूप्ये 55,00,000/– अक्षरे पचपन लाख [illegible] बयान 5500,00[illegible] बताया गया जबकि विक्रय पत्र में लेनदेन 3,12,000/– अक्षरे तीन लाख बारह [illegible] रूप्ये बताया गया, जो सर[illegible] है। बृजमोहन से धोकाधडी से षडयंत्रपूर्वक तरीके से धोका देकर एक इकरारनामा, एक वसीयतनामा व मुख्त्यारनामा [illegible] लिये व फर्जी मुख्त्यारनामे के अनुसार उक्त वर्णित दुकानों की रजिस्ट्री सत्यनारायण के पक्ष में सभी ने मिलीभगत करके करवा ली, जो गलत है। रजिस्ट्री केन्सीलेशन का वाद माननीय सिविल न्यायालय तालेडा में चल रहा है। प्रार्थी के विरुद्व 145 जा0दी0 का मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रेमशंकर ने पुलिस से मिलीभगत कर झुठे मुकदमे दर्ज करवा कर यह प्रकरण पेश किया गया एवं जबरन धमकी देकर बृजमोहन की दुकानो को खाली करवाकर दुकानो की चाबिया बृजमोहन से लेकर दुकानो पर पुलिस ने ताले लगाये । उक्त इस्तगासे में सत्यनारायण को गैरसायल बनाया गया है जबकि आज दिन तक सत्यनारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.21 13:10:40 IST
Reason: SelfAttested

का इन दुकानो से कोई लेना देना नही है और न ही कभी दुकाने खाली करवाने के लिए कहने आया। मात्र प्रेमशंकर ही अपने रिश्तेदारो की मिलीभगत से तैयार किये गये फर्जी दस्तावेजो के आधार पर एवं पुलिस से मिलीभगत कर बृजमोहन की दुकानो को हड़पना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 जा0दी0 मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

पार्टी नं0 2 प्रेमशंकर पुत्र रामकल्याण व सत्यनारायण पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण नि0 सुंवासा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित सम्पति को बृजमोहन पुत्र बद्रीलाल मीणा से जर्ये इकरारनामा दिनांक 30.11.2019 को खरीद कर कब्जा उसी दिन प्राप्त कर लिया गया था तब से जवाबदाता ही उक्त सम्पति का मालिक है व सम्पति को कब्जे में रखकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एक दुकान में जवाबदाता प्रेमशंकर का सामान पडा है। बृजमोहन ने दिनांक 30.11.2019 को एक मुख्तारनामा भी प्रेमशंकर के पक्ष में निष्पादित किया जिस पर स्वेच्छा पूर्वक बृजमोहन ने अपने हस्ताक्षर किये व गवाही गवाहान करवाई तथा नोटेरी से मुख्तारनामे को तस्दीक ही करवाया तथा दिंनाक 5.6.2020 को विवादित भूमि की रजिस्ट्री सत्यनारायण शर्मा के नाम हो चुकी है। जिसकी जानकारी बृजमोहन को थी मगर बृजमोहन मीणा व उनके परिवारजनो के मन में बदयान्ति आ जाने के कारण वे जवाबदाताओ को दोनो दुकानों व गेलेरी से बेदखल करना चाहते है व झूठी रिपोर्ट कराते है, इसी कारण पुलिस थाना के0पाटन द्वारा यह झुठी कार्यवाही पेश की गई है। जवाबदाता विवादित दुकानो व गेलेरी के रजिस्टर्ड मालिक है तथा दिंनाक 30.11.2019 से लगाता कब्जा बनाये हुये है। थानाधिकारी के0पाटन द्वारा की गई कार्यवाही को निरस्त किया जावे व प्रार्थना पत्र सरकार खारिज किया जावे।

थानाधिकारी के0पाटन को साक्ष्य का अवसर दिया गया किन्तु जर्ये पत्रांक 6249 दिनांक 27.12.2023 को जर्ये पत्र अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में इस्तगासा प्रस्तुत करते समय समस्त दस्तावेज साक्ष्य पेश कर दिये गये है अतिरिक्त कोई साक्ष्य नही है।

पार्टी नं0 1 द्वारा साक्ष्य में स्वयं बृजमोएन का शपथ पत्र पेश किया जिस पर पार्टी नं. 2 के अभिभाषक द्वारा जिरह की गई । इसके अतिरिक्त श्री रमेश आ0 बद्रीलाल मीणा नि0 सुंवासा, श्री सत्यनारायण आ0 भंवरलाल जाति कारपेन्टर नि0 सुंवासा, श्री सत्यनारायण आ0 कैलाशचन्द गोस्वामी नि0 सुंवासा, श्री छीतरलाल आ0 छोटूलाल जाति सैनी नि0 सुंवासा, श्री राजेन्द्र कुमार आ0 बद्रीलाल जाति मीणा नि0 सुंवासा, श्री दुर्गालाल आ0 भवाना जाति मेघववाल नि0 सुंवासा, श्री जगन्नाथ मेघवाल आ0 मांगीलाल मेघवाल नि0 सुंवासा, श्री दुर्गाशंकर आ0 रामस्वरुप जाति जागा नि0 सुंवासा, श्री उदयलाल आ0 गोपी जाति मीणा नि0 सुंवासा के शपथ पत्र पेश किये गये। पार्टी नं0 2 के अभिभाषक द्वारा श्री उदयलाल आ0 गोपी जाति मीणा व श्री दुर्गाशंकर आ0 रामस्वरूप जाति जागा से जिरह की गई शेष गवाहन के साक्ष्य शपथ पत्रो पर जिरह नही की गई। इसके अतिरिक्त सम्पति के विघुत बिल , न्यायालय वरिष्ट सिविल न्यायाधीश महोदय बून्दी में जैरकार वाद निरस्त किये जाने विकय पत्र एवं स्थायी निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रति मय आदेशिका एवं न्यायालय एससी एसटी कोर्ट बून्दी में चालान पेश होने की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

पार्टी नं. 2 की ओर से कोई साक्ष्य गवाह पेश नही किये गये। साक्ष्य के रूप में इकरारनामा दिनांक 30.11.2019 की छायाप्रति, मुख्तारनामा दिनांक 30.11.2019 की छायाप्रति, रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 5.6.2020 की छायाप्रति व प्रथम सुचना रिपोर्ट 363/2020 थाना केपाटन दिनांक 28.10.2020 की छायाप्रति पेश की गई।

थानाधिकारी के0पाटन द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर बहस सूनी गई । थानाधिकारी के0पाटन की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। पार्टी नं. 1 के अभिभाषक ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि यह कार्यवाही पार्टी नं. 2 ने पुलिस से मिलीभगत कर षडयंत्र पूर्वक पेश करवायी गयी है जो चलने योग्य नही है पार्टी नं. 1 अपनी सम्पति पर काबिज कास्त है प्रकरण को निरस्त किया जावे। पार्टी नं. 2 के अभिभाषक द्वारा दस्तावेजो को सही एवं सत्य होना बताते हुए निवेदन किया कि उनके पक्षकार को कब्जा दिलाया जावे एवं सम्पति पर थानाधिकारी के0पाटन को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

बहस उभयपक्ष सूनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं थानाधिकारी के0पाटन द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही के पश्चात अन्य कोई साक्ष्य एवं विवाद के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज पेश नही करने एवं पार्टी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायालय वरिष्ट सिविल न्यायाधीश महोदय बून्दी में जैरकार वाद निरस्त किये जाने विकय पत्र एवं स्थायी निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रति मय आदेशिका एवं न्यायालय एससी एसटी कोर्ट बून्दी में चालान पेश होने की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने, जवाब पार्टी सं0 1 व 2 का अवलोकन करने एवं बहस उभयपक्ष सूनने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में वरिष्ट सिविल न्यायाधीश महोदय बून्दी में निरस्त किये जाने विकय पत्र एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं न्यायालय एससी एसटी कोर्ट बून्दी में उक्त सम्बन्ध में प्रकरण जैरकार होने से multiplicity of suits प्रथम दृष्टया विदित हो रहा है एवं विरोधाभासी निर्णय पारित होने की सम्भावना उत्पन्न हो र[illegible]ण में इस स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारि[illegible] किया [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया ज[illegible] सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.21 13:10:40 IST
Reason: SelfAttested

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
तालेडा